JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

वर्तमान समय में बढ़ते बाल–अपराध को रोकने में षिक्षा की भूमिका एक अध्ययन

शोधकर्ता
श्रीमती नीलम चौहान
शोधार्थी (षिक्षा)
श्री रावतपुरा सरकार,
धनेली रायपुर

शोध निर्देषिका
डॉ. शीतल अडगांवकर
श्री रावतपुरा सरकार,
धनेली रायपुर (छ.ग.)

सहशोध निर्देषक
डॉ. अब्दुल सत्तार
विभागाध्यक्ष
कमला नेहरू महाविद्यालय,
कोरबा (छ.ग.)

संक्षेपिका

वर्तमान समय में बाल–अपराध में प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जा रही है, किषोरावस्था में जाने पर कुछ बच्चों में विभिन्न प्रकार के अपराध के लक्षण परिलक्षित होते हैं बाल–अपराध को रोकने में षिक्षा की अहम भूमिका होती है। वर्तमान में अपराध के क्षेत्र में बाल अपराध मूलतः पारिवारिक एवं सामुदायिक विघटन की देन है, सामुदायिक विघटन की समस्या वर्तमान समाज में निरंतर बढ़ती जा रही है जो सम्पूर्ण विष्व के लिए चिंता का विषय बन चुकी है। इस कारण अपराध को रोकने के लिए उसके लिए उत्तरदायी कारकों एवं नियंत्रण के उपाय ढूंढ़े जाना आवष्यक है।

भूमिका

मानव जीवन में षिक्षा की भूमिका का वही महत्व है जो शरीर में आत्मा का है अर्थात् जीवन की उदान्तता, उच्चता, सौन्दर्य एवं उत्कृष्टता षिक्षा द्वारा संभव है।

बाल–अपराधियों को दण्ड देने के प्रावधान में परिवर्तन करते हुए उनकी परिस्थितियों में सुधार करते हुए बाल–अपराध को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाना आवष्यक है, वर्तमान षिक्षा के उचित विकास से बाल–अपराध में अंकुष लगाया जा सकता है उचित वातावरण में रखकर बाल अपराध में सुधार किया जा सकता है, जहाँ बाल–अपराध बालकों कि उचित देखभाल के साथ–साथ उसके व्यक्तित्व का भी विकास किया जा सकता है ताकि उसको समाज में समायोजन करने के लिए कठिनाई का सामना न करना पड़े।

प्रस्तुत शोध कार्य समाज में फैल रहे हर तरह के बाल–अपराधियों का समाजषास्त्रीय अध्ययन है इन बाल–अपराधियों की जानकारी बाल न्यायालय, सुधार ग्रहों एवं अभिभावकों के द्वारा प्राप्त हुई अध्ययन की सुविधा को देखते हुए बाल अपराधियों का गहन अध्ययन करने की चेष्टा की गई है।

आज विष्व के समस्त देष अपने यहाँ बढ़ रहे बाल–अपराध से परेषान है यही कारण है कि अक्सर माता–पिता षिक्षक समुदाय पुलिस प्रषासन, मनोचिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता, अपराध शास्त्री, समाजषास्त्री, सरकार, मिडिया आदि विभिन्न परिचर्याओं के दौरान बाल अपराध पर चिंतन मनन करते पाए जाते हैं विषेषकर किषोरो में असामाजिक और विचलनकारी व्यवहार का बढ़ना किसी स्वस्थ समाज का लक्ष्य नही है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन बाल–अपराध के समाजषास्त्रीय विष्लेषण पर आधारित है।

प्रस्तुत शोध कार्य हेतु बाल सम्प्रेषण गृह पुलगांव दुर्ग में रिमाण्ड के दौरान रह रहे बाल–अपराधियों के अध्ययन पर आधारित है अध्ययन के द्वारा बाल–अपराध के लिए उत्तरदायी कारकों को तलाषने का प्रयास किया गया है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन कार्य हेतु 500 बाल–अपराधी बालकों का चयन विगत 3 वर्षों से प्राप्त आकड़ों के आधार पर किया गया है जिससे उनके षिक्षा के अध्ययन क्षेत्र की व्याख्या करेंगे।

षिक्षा से आषय –

षिक्षा बालक का सर्वांगिय विकास करता है बालक जन्म के साथ ही षिक्षा ग्रहण करना है प्रारंभ कर देता है और यह षिक्षा जीवनपर्यन्त तक चलने वाली प्रक्रिया है एक मानव प्रति–क्षण अपने आसपास के वातावरण से कुछ न कुछ सीखता है नए अनुभव ग्रहण करता है विद्यालय में छात्रों को इसी प्रकार कि षिक्षा दी जाती है जो समाज के लिए उपयोगी हो और उस षिक्षा से बालक और समाज दोनों उन्नति करें।

महाराज भर्तुहरि के अनुसार –

"विद्यालय विहीन नर पशु समान है"

इस कारण षिक्षा में बालकों को पुस्तकीय ज्ञान साथ अन्य व्यावहारिक ज्ञान भी दिया जाता है जिससे बालक के व्यवहार आदतों के बाद चिंता और दृष्टिकोण को स्थाई रूप से परिवर्तित कर दिया जाता है माता–पिता तथा अध्यापकों की यह इच्छा होती बालकों को ऐसी षिक्षा दी जाए जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके और उनमें व्यक्तित्व का निर्माण हो यह कथन सत्य है कि अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण से घर, समाज एवं देष का अस्तित्व ऊंचा उढ़ता है अतः यह तभी समझते हैं जब विद्यार्थियों को ऐसी षिक्षा दी जाए जिससे उनमें वृत्तिक निर्णय की क्षमता अच्दी हो।

अतः षिक्षा का मुख्य उद्देष्य होना चाहिए कि विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने कि षिक्षा दी जाए।

अध्ययन का क्षेत्र – बाल–अपराधी बालकों के सर्वांगीय विकास में षिक्षा का विषेष महत्व रहता है।

अध्ययन का उद्देष्य – बाल–अपराधियों बालकों के जीवन स्तर परिवर्तन में षिक्षा का विषेष प्रभाव पड़ता है।

बाल–अपराध से आषय –

आधुनिक समय में बाल–अपराधियों की बढ़ती चिंता का विषय है विकसित और विकासषील दोनों प्रकार के समाजों में इनकी बढ़ती संख्या वहाँ की सरकार और समस्या दोनों के लिए विचारणीय विषय है यही कारण है कि विभिन्न विषयों के विद्ववान भी इन समस्या को अपने–अपने दृष्टिकोण से समझने और समझाने का प्रयत्न कर रहे हें ऐसा नहीं है कि बाल–अपराध केवल आधुनिक समाज की देन है बाल–अपराधी हर काल और हर प्रकार के समाजों में मौजुद रहे हैं। आधुनिक परिवर्तनषील समाजों में बाल–अपराधियों की संख्या बढ़ रही है साथ ही बदलते समय के साथ–साथ बाल–अपराधियों के प्रति सरकार और समाज के दृष्टिकोण में समय–समय पर बदलाव आते रहे हैं।

बाल–अपराध की समस्या इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है कि अगर समाज में बाल अपराधियों की संख्या बढ़ती है तो यह व्यक्तिगत विघटन के साथ–साथ सामाजिक विघटन का भी सूचक है इससे ना सिर्फ समाज की शक्ति भंग होती है। बल्कि सामाजिक–आर्थिक विकास का मार्ग भी अवरूद्ध होता है।

आधुनिक सुचना तकनीकी का फैलता जाल कम्प्यूटर, इन्टरनेट, मीडिया, मोबाइल, बाइक संस्कृति आदि का प्रभाव बाल–अपराध की उत्पत्ति पर किस प्रकार पड़ा है तथा वे कौन से कारक है जो एक बालक को अपराधी बना देता है।

बाल–अपराध के कारण –

बाल–अपराध की उत्पत्ति में कई कारण महत्त्वपूर्ण है जैसा कि बाल–अपराध से सम्बंधित विभिन्न विद्वानों ने देखा कि बाल अपराध की व्याख्या विभिन्न दृष्टिकोण से की गयी है।

बाल–अपराध के कारण निम्नलिखित है –

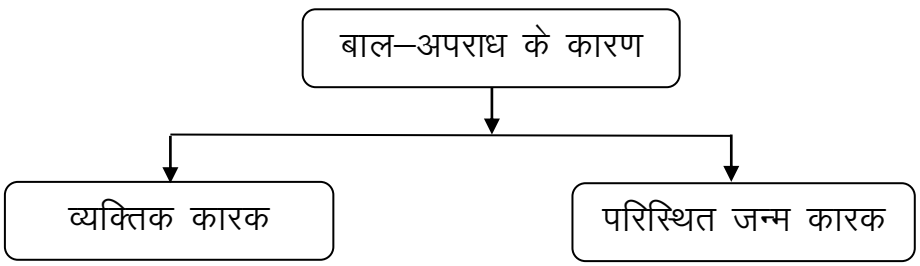

ये दोनों कारक एक–दूसरे के पूरक है तथा बाल–अपराध इन दोनों कारकों के अंतः क्रिया से ही उत्पन्न होता है।

कानूनी परिप्रेक्ष्य –

कानूनी परिप्रेक्ष्य के अनुसार किसी भी देष के कानून के अंतर्गत कम आयु के बच्चों द्वारा किए गए अपराध अथवा निष्चित उम्र मे जो बाल समाज विरोधी काम करते हैं वे बाल–अपराध कहलाते हैं।

न्यूमेयर –

"बाल–अपराधी एक निष्चित आयु से कम का वह व्यक्ति है जिसमें समाज विरोधी कार्य किया है तथा जिसका दुर्व्यहार कानून को तोड़ने वाला है।"

सिरिल बर्ट –

तकनीकी दृष्टि से एक बालक को उस समय अपराधी माना जाता है जब उसकी समाज विरोधी प्रवृत्तियाँ इतनी गंभीर दिखाई दे उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाती है।

बाल–अपराध रोकने में षिक्षा कि भूमिका –

षिक्षा मानव के व्यक्तित्व का विकास करती है षिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी गलत आचरण को सुधार सकता है बालक एक गीली मिट्टी की तरह होता है जिसे जिस रूप में देना चाहे या ढालना चाहे।

षिक्षा की भूमिका निम्नलिखित है –

प्रेम एवं सहानुभूति –

बालकों को अच्छे कार्य की ओर ले जाने के लिए षिक्षकों का कर्त्तव्य है कि वे उनके प्रति प्रेम एवं सहानुभूति का व्यवहार अपनाए।

कला एवं स्वास्थ्य –

पारिवारिक मूल प्रवृत्तियों को बोध करने के लिए एवं उनमें अच्छे गुण उत्पन्न करने के लिए उन्हें कलात्मक एवं साहित्यीक ज्ञान देना परम आवष्यक है।

कार्य एवं सहानुभूति –

बालकों को स्वास्थ एवं स्वतंत्रता की ओर ले जाने के लिए उन्हें कार्य का स्वानुभव दिषा प्रदान करनी चाहिए।

निष्कर्ष –

वर्तमान में बाल–अपराध की समस्या ने पुरी दुनिया में एक गंभीर रूप धारण कर लिया है तेजी से बदलती सामाजिक, आर्थिक परिस्थिति ने सामाजिक–परिवर्तन की गती काफी बढ़ा दी है विभिन्न सामाजिक संख्याओं के संरचना और प्रकार्यों में काफी तेजी से बदलाव आया है भौतिक सुख समृद्धि और उपभोक्ता संस्कृति के प्रति लोगों का दृष्टिकोण पहले से काफी बढ़ा है सूचना और संचार के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आया है।

परिवार और समाज का नियंत्रण बच्चों पर पहले जैसा नहीं रहा परिणामस्वरूप बच्चों में विचलनकारी व्यवहार की प्रवृत्ति बढ़ी है अनुसंधान हेतु साक्षात्कार अनुसूची अवलोकन एवं वैक्तिक अध्ययन पद्धति जैसे अनुसंधान–उपकरणों का प्रयोग किया गया है अध्ययन का क्षेत्र एवं समग्र के रूप में दुर्ग जिले में बाल सम्प्रेषण गृह में समय–समय पर विभिन्न अपराधों के जुर्म में आए बाल–अपराधियों को लिया गया है।

1. बाल–अपराधियों को षिक्षा प्रदान करने से उनके जीवन पर उचित प्रभाव पड़ता है एवं सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
2. षिक्षा के द्वारा वे समाज में समायोजन कर सकते हैं।
3. बाल–सुधार गृह में रोजगार के लिए प्रोत्साहन दिया जाता हैं
4. बाल–अपराधी बालकों को लघु उद्योग कि षिक्षा प्रदान की जाती है।
5. बाल–अपराधी बालक मानते हैं कि उन्हें षिक्षा की आवष्यकता है।
6. शहरी एवं ग्रामीण पृष्टभूमि के बाल अपराधियों का प्रतिषत लगभग बराबर होता है।

सुझाव –

बच्चों को अपराधी बनने से रोकने के लिए सरकारकों निम्न सामाजिक अर्थिक स्थिति वाले परिवारों के बच्चों के उचित भरण–पोषण और षिक्षण के विषेष प्रयास करने होंगे क्योंकि ज्यादातर बाल–अपराधी गरीब और कम पढ़े–लिखे परिवारों से आते हैं।

बाल–अपराध के रोकथाम के लिए एवं सुधार के लिए सरकार की ओर से आर्थिक संस्थागत उपाय किए गए है किन्तु इन संस्थाओं की क्रिया प्रणाली औपचारिक है जो बाल अपराधियों के सुधार की प्रक्रिया में ज्यादातर सहायक नहीं है इन संस्थाओं से निकले बच्चे पुनः अपराध की दुनिया में आसानी से प्रवेष कर जाते हैं अतः दूसरा सुझाव यह है कि लम्बे समय तक इन सुधार गृहों में रहने वाले बाल–अपराधियों को समाज में सक्रिय अन्य समाज सेवी संस्थाओं से जोड़ा जाए ताकि इनमें सुधरने कि इच्छा का विकास हो तथा समाज की सहानुभूति भी प्राप्त हो।

1. बाल–अपराधी बालकों को अनिवार्य षिक्षा देनी चाहिए।
2. बाल–अपराधी बालकों के नैतिक एवं व्यक्तिगत गुणों का विकास होना चाहिए।
3. बाल–अपराधी बालकों को व्यावसायिक षिक्षा प्रदान किया जाना चाहिए।
4. अपराधी बालकों को समान रोजगार के अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।
5. अपराधी बालकों को नवीन संसाधनों की व्यवस्था की जानी चाहिए।
6. बाल–अपराधी बालकों के षिक्षक को विषेष प्रकार की प्रषिक्षण दिया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची –

1. कुमारी मंजू : भारत में बाल–अपराध, प्रिंटवैल पब्लिषर्स डिस्ट्रीव्युटर्स
2. बाबेल, बसंती लाल : अपराध ईस्टर्न बुक कंपनी
3. महाजन, डॉ संजीत : अपराध शास्त्र एवं दण्ड शास्त्र नई दिल्ली, आर्थ बुक डिपो
4. पाठक, पी. डी. : षिक्षा मनोविज्ञान, विनोद पुस्तक मंदिर आगरा
5. शर्मा, डॉ. एन. के. : अधिगम का मनोसामाजिक आधार एवं षिक्षण आर.लाल डिपो, मेरठ
6. पचौरी, डॉ. गिरीष : भारतीय समाज में षिक्षा, इंटरनेषल पब्लिषिंग हाउस, मेरठ
7. शर्मा, आर. ए. : षिक्षा अनुसंधान, आर लाल बुक डिपो, मेरठ
8. गुप्ता राजकुमार : प्राइमरी षिक्षक
9. तिवारी, श्रीमति विमला : उदयीमान भारतीय समाज में अध्याय षिव प्रकाषन मंदिन, आगरा

10. मंगल, एस. के. : अधिगमकर्ता का विकास एवं षिक्षण अधिगम प्रक्रिया, अग्रवाल पब्लिकेषन, आगरा
11. भटनागर, डॉ. ए. बी. : अधिगमकर्ता का विकास एवं षिक्षण अधिगम प्रक्रिया, आर. लाल बुक डिपो
12. भटनागर, डॉ. ए. बी. : षिक्षा मनोविज्ञान, आर. लाल बुक डिपो